



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2011/आषाढ़ 9, 1933

No. 1237]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2011/ASADHA 9, 1933

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

का.आ. 1485(अ).—वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 78 के परन्तुक के अनुसरण में तथा 19 जुलाई, 2010 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 1735(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 से विमान क्षेत्र में/से अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित नहीं करेगा।

[फा. सं. एवी-11012/4/2005-ए]

रोहित नन्दन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2011

S.O. 1485(E).—In pursuance of proviso to rule 78 of the Aircraft Rules, 1937, and in supersession of the notification No. S.O. 1735(E), dated 19th July, 2010, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 19th July, 2010, the Central Government hereby directs that no person shall operate scheduled air transport services to/from an aerodrome with effect from 31st December, 2011, unless it has been licensed by the Director General of Civil Aviation.

[F.No. AV-11012/4/2005-A]

ROHIT NANDAN, Jt. Secy.